



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज.)

वादीगण कमल कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन	ब ना म	प्रतिवादीगण देवूराम पुत्र टोडूराम जाति जाट निवासी ओमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन
राजस्व वाद-पत्र = दावा इस्तकरार हक भू-विभाजन व रथाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955		
राजस्व वाद-पत्र नम्बर = 112 /2025 GCMS No.2025/220		
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	
29.05.2025 27.05.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह दावा इस्तकरार हक भू-विभाजन व रथाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 25/06/2025 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )</p>	
6/6/25	<p>वाहिया कमल कंवर के द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर पञ्जामी आज तबीख पेशी पर ली गयी। वाहिया ने प्रार्थना पत्र उल्ट कर वाह पत्र जरिए विज्ञापन करि किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र का भवेलोकन किया गया। कारण इच्छित प्रती होला है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है वाह पत्र जरिए विज्ञापन करि किया जाता है पञ्जामी प्रसव शुमार होकर नम्बर से काम होकर हाथिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )</p>	

नम्बर व तारीख अहकाम जी इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

कमल कंवर

